



सत्यमेव जयते

प्रश्न सं. [क 454] कल्याण एवं उपकर आयुक्त

श्रम कल्याण संगठन

797, शांति कुंज, साउथ सिविल लार्डन

जबलपुर (म.प्र.)-482001

फोन नं. -0761.2626021, फैक्स नं.- 0761. 2678595

ई-मेल:- wcjab@mp.gov.in, wc.jabalpur@rediffmail.com

पत्र संख्या :-बी.डब्ल्यू.एफ/13(6)2003-I

जबलपुर, दिनांक :-30.06.2016

प्रति,

सहा. श्रमायुक्त,
सागर संभाग,
मेडिकल कॉलेज के पास,
तिलि रोड, सागर (म.प्र.)

विषय- विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 454 द्वारा श्री शैलेन्द्र जैन (सागर विधानसभा क्षेत्र में बीडी श्रमिकों की आवास योजना।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्र क्र. बफ/विधानसभा/स.सं/2016/1343 दिनांक 29/06/2016 का अवलोकन करें। उल्लेखित विधानसभा प्रश्न के संबंध में जानकारी निम्नवत है:-

(क) इस कार्यालय में बीडी श्रमिकों या आवास योजना संबंधी जानकारी विधान सभावार न रखी जाकर जिलेवार रखी जाती है। जिलेवार विवरण निम्न है।

कार्यालय अभिलेखानुसार सागर जिले में कुल 404938 बीडी श्रमिक है जिसमें 319754 परिचय पत्र सागर जिले के श्रम विभाग द्वारा एवं 85184 परिचय पत्र इस संगठन द्वारा जारी किए गए है।

सागर जिले में संशोधित एकीकृत आवास योजना-07 के अंतर्गत कुल 4727 पात्र श्रमिकों को आवास सुविधा प्रदान की गई है। श्रमिकों को आवास सुविधा प्रदान किया जाना उनके द्वारा किए गए आवेदनों एवं योजना में दी गई शर्तों को पूर्ण करने पर निर्भर होता है।

भवदीय,

कल्याण आयुक्त
जबलपुर (म0प्र0)

प्रतिलिपि:- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय चिकित्सालय, सागर को उनके ई-मेल दिनांक 29/06/2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।

महोदय
श्रम विभाग
जबलपुर

कल्याण आयुक्त
जबलपुर (म0प्र0)